



नगर निगम, जोधपुर

क्रमांक:-

दिनांक:-

आदेश:-

नगर निगम के युनिपोल संवेदक मेसर्स प्राइमरोज मार्केटिंग (प्रो. अ. हमीद, जावेद, पता- फनवर्ल्ड के सामने, पठान कोट, चौपासनी) द्वारा नीलामी के जरिये वर्ष 2014 में ली गई युनिपोल साइट्स की वर्ष 2017-18 तक की बकाया लाईसेंस फीस रु. 41,12,855/- अदा नहीं करने के कारण, फर्म की 18 युनिपोल साइट्स नगर निगम द्वारा (आदेश क्रमांक 19852 दिनांक 29.12.2017) सीज की गई थी, फिर भी बकाएदार द्वारा ना तो बकाया राशी जमा करवाई गई और ना ही जमा कराने के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत किया है।

अतः बकाया लाईसेंस फीस रु. 41,12,855/- के विरुद्ध राज. न. पा. अधिनियम 2009 की धारा 131 (1) के तहत बकाया राशी रु. 41,12,855/- के विरुद्ध फर्म की फनवर्ल्ड के सामने, पठान कोट, चौपासनी स्थित अचल/चल सम्पत्ति को कुर्क/सीज करने का आदेश दिया जाता है।

फर्म को अगले 07 वर्ष हेतु काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डाला जाता है।

ssd

(ओ. पी. कसेरा)

I. P. S.

आयुक्त

नगर निगम, जोधपुर

दिनांक--01/02/18

क्रमांक:- 224894022485

प्रतिलिपी:-

01. महापौर महोदय, नगर निगम, जोधपुर।
02. उपायुक्त (राजस्व), नगर निगम, जोधपुर।
03. लेखाधिकारी, नगर निगम, जोधपुर।
04. श्रीमती सुमन राठौड़, राजस्व अधिकारी व श्री रणवीर देथा, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम, जोधपुर, आदेश की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
05. श्री ओसवाल डाटा का भेजकर लेख है कि फर्म को ब्लैक लिस्टेड की सूचना निगम वेबसाइट व समस्त नगर निकाय (राजस्थान की) को भिजवावे।
06. प्राइमरोज मार्केटिंग, फनवर्ल्ड के सामने, पठान कोट, चौपासनी जोधपुर।

आयुक्त

नगर निगम, जोधपुर